कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 2426 दिनांक 03.08.2021 द्वारा दिनांक 13.08.2021 को पंचायत नियोजन इकाईयों में अभ्यार्थियों के कान्सिलिंग हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चिन्हित स्थल को निर्धारित की गई थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर के पत्रांक कैम्प 02 दिनांक 10.08.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि गंगा नदी में लगातार जल वृद्धि के कारण राघोपुर प्रखंड के नीचले इलाके में पानी फैल चुका है। साथ ही प्रखंड मुख्यालय का सम्पर्क पथ भी जल मंग्न हो चुका है। राघोपुर प्रखंड मुख्यालय जल मंग्न होने के कारण अभ्यार्थियों का कॉन्सिलिंग तत्काल स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रखंड राघोपुर के पंचायत नियोजन इकाईयों में दिनांक 13.08.2021 को निर्धारित कॉन्सिलिंग को तत्काल स्थगित किया जाता है। कॉन्सिलिंग की अगली तिथि विभागीय निदेश के आलोक में निर्धारित की जायेगी।

Sd/- 10.8.21

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक 2471 /हाजीपुर, दिनांक 10.8.21

प्रतिलिपि–प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राघोपुर/संबंधित पंचायत नियोजन इकाई/आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, वैशाली से अनुरोध है कि NIC पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

Sd/- 10.8.21

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक 2471 /हाजीपुर, दिनांक 10.08.21

प्रतिलिपि–निदेशक (प्रा0शि0) शिक्षा विभाग, बिहार पटना/जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

Sd/- 10.8.21

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।